

| अनुक्रमणिका | | |
|---|----------|--------------|
| विषय | परिच्छेद | पृष्ठ संख्या |
| प्रस्तावना | - | v |
| कार्यकारी सारांश | - | vii |
| अध्याय-I: राज्य सरकार के वित्त | | |
| परिचय | 1.1 | 1 |
| राज्य के संसाधन | 1.2 | 6 |
| राजस्व प्राप्तियां | 1.3 | 8 |
| पूंजीगत प्राप्तियां | 1.4 | 15 |
| लोक लेखा प्राप्तियां | 1.5 | 16 |
| संसाधनों का अनुप्रयोग | 1.6 | 17 |
| व्यय की गुणवत्ता | 1.7 | 22 |
| सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण | 1.8 | 24 |
| परिसम्पत्तियां एवं देयताएं | 1.9 | 29 |
| ऋण प्रबंधन | 1.10 | 34 |
| राजकोषीय असंतुलन | 1.11 | 40 |
| मुख्य विशेषताएं | 1.12 | 44 |
| राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई | 1.13 | 45 |
| निष्कर्ष | 1.14 | 45 |
| अध्याय-II: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण | | |
| परिचय | 2.1 | 47 |
| विनियोजन लेखे का सारांश | 2.2 | 47 |
| वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन | 2.3 | 50 |
| व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन | 2.4 | 56 |
| लेखाओं का गलत वर्गीकरण | 2.5 | 57 |
| चुने हुए अनुदानों की समीक्षा | 2.6 | 58 |
| कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम | 2.7 | 60 |
| निष्कर्ष | 2.8 | 62 |

| अनुक्रमणिका | | |
|---|----------|--------------|
| विषय | परिच्छेद | पृष्ठ संख्या |
| अध्याय-III: वित्तीय विवरण | | |
| प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब | 3.1 | 63 |
| स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा के समक्ष रखना | 3.2 | 64 |
| निकायों / प्राधिकरणों को प्रदत्त अनुदानों / ऋणों के विवरण का गैर-प्रस्तुतीकरण | 3.3 | 64 |
| दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि | 3.4 | 65 |
| सार आकस्मिक बिलों पर अग्रिम का असमायोजन/अनियमित आहरण | 3.5 | 66 |
| लेखों की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक | 3.6 | 66 |
| लेखांकन मानकों की अनुपालना | 3.7 | 68 |
| निष्कर्ष | 3.8 | 68 |

परिशिष्ट

| परिशिष्ट संख्या | शीर्षक | परिच्छेद | पृष्ठ संख्या |
|----------------------|--|---------------------------|--------------|
| परिशिष्ट-1 | राज्य रूपरेखा | | |
| | क: सामान्य आंकड़े | 1.1 | 71 |
| | ख: वित्तीय आंकड़े | 1.1 | 71 |
| परिशिष्ट-1.1 | भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप | - | 72 |
| | भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा | - | 73 |
| परिशिष्ट-1.2 | भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति | - | 75 |
| | भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित) | 1.1.2 | 77 |
| परिशिष्ट-1.3 | राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े | 1.3 तथा 1.11.3 | 78 |
| परिशिष्ट-1.4 | भाग-क: वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार | 1.1.1 | 81 |
| | भाग-ख: 31 मार्च 2019 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति | 1.9.1 | 84 |
| परिशिष्ट-1.5 | 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी | 1.2.1 | 86 |
| परिशिष्ट-1.6 | क्षेत्र-वार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश | 1.8.2.1 | 89 |
| परिशिष्ट-1.7 | आंकड़ों में अन्तर प्रदर्शित करती विवरणी (राज्य सरकार द्वारा सूचित वित्त लेखों के आंकड़ों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार) | 1.8.2.1 तथा 1.9.4.1 | 90 |
| परिशिष्ट-1.8 | 30 सितम्बर 2019 तक लाभ दर्ज करने वाले कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का ब्यौरा | 1.8.2.1 | 91 |
| परिशिष्ट-1.9 | उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण जिनके लेखे बकाया है | 1.8.2.1 | 92 |
| परिशिष्ट-1.10 | राज्य सरकार द्वारा निवेशित घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लेखे बकाया थे, का विवरण | 1.8.2.1 | 93 |
| परिशिष्ट-1.11 | हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रास्थिति | 1.8.2.2 | 94 |
| परिशिष्ट-2.1 | विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें व्यय आधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी | 2.2.2 तथा 2.3.1 | 96 |
| परिशिष्ट-2.2 | नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य | 2.3.1 | 97 |
| परिशिष्ट-2.3 | नियमन के लिए अपेक्षित 2018-19 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य | 2.3.1 | 98 |
| परिशिष्ट-2.4 | मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए | 2.3.1.1 | 99 |

| परिशिष्ट संख्या | शीर्षक | परिच्छेद | पृष्ठ संख्या |
|-----------------|---|-----------------------|--------------|
| परिशिष्ट-2.5 | विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए | 2.3.1.1 | 100 |
| परिशिष्ट-2.6 | निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन | 2.3.2 | 101 |
| परिशिष्ट-2.7 | व्यय का तीव्र प्रवाह | 2.3.3 | 102 |
| परिशिष्ट-2.8 | विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण | 2.2.2 तथा 2.3.4 | 104 |
| परिशिष्ट-2.9 | विभिन्न अनुदानों का विवरण जहां 2014-19 के दौरान निरंतर बचतें (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) हुईं | 2.3.4.1 | 105 |
| परिशिष्ट-2.10 | क: वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए अत्यधिक अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी | 2.3.4.2 | 106 |
| परिशिष्ट-2.11 | ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी | 2.3.4.2 | 109 |
| परिशिष्ट-2.12 | 31 मार्च 2019 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी | 2.3.4.2 | 112 |
| परिशिष्ट-2.13 | 31 मार्च 2019 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी | 2.4 | 114 |
| परिशिष्ट-2.14 | लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक राजस्व प्राप्तियां | 2.5.2 | 116 |
| परिशिष्ट-2.15 | लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय के अंतर्गत बुक राजस्व व्यय | 2.5.2 | 117 |
| परिशिष्ट-2.16 | लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक की गई फ्लैगशिप योजनाएं | 2.5.2 | 118 |
| परिशिष्ट-2.17 | उन मामलों की सूची जहां 2018-19 के दौरान अत्यधिक अभ्यर्पण हुए | 2.6.1 | 119 |
| परिशिष्ट-2.18 | उन मामलों की सूची जहां 2018-19 के दौरान मूल प्रावधान से अधिक व्यय (प्रत्येक में ₹ 15 लाख तथा उससे अधिक अथवा 20 प्रतिशत या उससे उपर) हुए | 2.6.2 | 120 |
| परिशिष्ट-2.19 | अप्रयुक्त बजट प्रावधान/ बचतों (प्रत्येक में ₹ 20 लाख व उससे अधिक अथवा 20 प्रतिशत व उससे उपर) का विवरण | 2.6.2 | 121 |
| परिशिष्ट-2.20 | बिना बजट बिलों का अनुमोदन | 2.7.3 | 122 |
| परिशिष्ट-2.21 | संस्वीकृत बजट से अधिक राशि का अनुमोदन | 2.7.3 | 123 |
| परिशिष्ट-3.1 | 31 मार्च 2019 तक बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र | 3.1 | 125 |
| परिशिष्ट-3.2 | स्वायत निकायों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति एवं राज्य विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण को दर्शाती विवरणी | 3.2 | 130 |
| परिशिष्ट-3.3 | चोरी, दुर्विनियोजन/हानि, आदि के मामलों का विभागवद्ध एवं अवधिवद्ध ब्यौरा | 3.4 | 131 |
| परिशिष्ट-3.4 | सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवद्ध/श्रेणीवद्ध ब्यौरा | 3.4 | 132 |
| परिशिष्ट-3.5 | सार आकस्मिक बिल (ए.सी. बिल) से आहरित बकाया अग्रिमों तथा उनके समायोजन (विस्तृत आकस्मिक बिल) (डी.सी. बिल) का विवरण | 3.5 | 133 |
| परिशिष्ट-4 | शब्दावली | - | 134 |